फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बसन्त बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 47/23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक 26.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार आराजी न. 1018/6 रकबा 10 बिघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय की जिससे उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई। नवीन सेटलमेंट के बाद राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम दर्ज उक्त खाता व खसरा की भूमि के खाता व खसरा संख्या बदल गये और वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के स्वामित्व वह कब्जे काश्त की भूमि के खाता संख्या 206 व खसरा संख्या 1939, 1940, 26/1943 रकबा 2.1600 है भूमि के रूप में दर्ज है। प्रार्थी की स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि का जो नया नक्शा दर्ज किया गया। वह पुराने नक्शे व प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि से भिन्न व अलग है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के नवीन नक्शे को साबिक नक्शे व मौके अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम खरडोदा की वर्तमान आराजी नं. 1939, 1940, 2620/1943 रकबा क्रमशः 0.8300, 0.4300, 0.9000 कुल किता 03 कुल रकबा 2.1600 है. प्रार्थी श्री बसन्त पुत्र नारायणलाल जाटव सा. रामसिंह की बाड़ी उदयपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉड है। यह कि मिलान क्षे. अनुसार साबिक आराजी नं. 1018/6 रकबा 10 बिघा के नए आराजी नं. 1939, 1940, 2620/1943 बनें। कार्यालय हाजा में उपलब्ध राजस्व नक्शे में साबिक आराजी नं. 1018/6 की तरमीम है किन्तु तरमीमकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी श्री बसन्त जाटव वर्तमान में आराजी नं. 1930, 1931, 1932 किस्म बिलानाम पर काबिज है जिसमें खरडोदा तालाब के एनीकट की पाल भी बनी हुई है। यह कि राजस्व ग्राम खरडोदा में बन्दोबस्त के पश्चात राजस्व ग्राम खरडोदा की बिलानाम भूमि 130.03 है. यानि 601 बिघा है बिलानाम भुमि में कमी नहीं होकर बढ़ोतरी हुई है।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि साबिक आराजी न 1018/6 रकबा 10 बिघा के नये आराजीन. 1939, 1940, 2620/1943 बने साथ ही बताया कि साबिक आराजी नं. 1018/6 की तरमीम है जबकि प्रार्थी अन्य बिलानाम आराजी पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें जमाबंदी व नक्शे में रोटेशन के दौरान हुई लिपिकिय त्रुटियों को सुधारा जाता है जबकि तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इस प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है। अतः उक्त प्रकरण धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं हैं। अतः प्रकरण धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से व वादी के वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested